राजस्थान सरकार
न्याय विभाग

क्रमांक प.4(1) राजकॉम्प/न्याय/2021/

दिनांक : 15.06.2022

अतिरिक्त मुख्य सचिव/
शासन प्रमुख सचिव/शासन सचिव

समस्त जिला कलक्टर
(जिला नोडल अधिकारी लाईटस)

विषयः—लाईटस सॉफ्टवेयर में प्रकरण दर्ज करते समय CNR अनिवार्य करने बाबत्।

महोदय/महोदया

लाईटस सॉफ्टवेयर में दर्ज न्यायिक प्रकरणों में वेब सर्विस के माध्यम से CNR आवश्यक रूप से अद्यतन करने हेतु पूर्व में पत्र क्रमांक प.4(1) राजकॉम्प/न्याय/2021/83 दिनांक 31.03.2022 के माध्यम से अनुरोध किया गया था।

इसी क्रम में लाईटस सॉफ्टवेयर में नये प्रकरण का इन्द्राज करते समय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर एवं जयपुर के प्रकरणों के लिए CNR Search की सुविधा उपलब्ध करवा कर प्रकरण में CNR का अंकन अनिवार्य कर प्रकरण Save करने की सुविधा प्रदान कर दी गई है।

अतः आप से अनुरोध है, कि सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रकरण दर्ज करते समय, प्रकरण को Save करने से पूर्व केस नम्बर, CNR आदि प्रविष्टियों को आवश्यक रुप से जांच कर ही अंकन, करने हेतु निर्देशित करने का श्रम करें।

भवदीय

शासन विशिष्ट सचिव